प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक ०२ जनवरी, २०१७**

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज, तैय्यबपुर टप्पा लालू, राजकीय इण्टर कालेज, कपूरी रोड एवं राजकीय इण्टर कालेज, कमेला रोड के निर्माण हेतु **लागतवृद्धि** की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-3702/52-01-2012-03(06)/10, दिनांक 02.11.2012 द्वारा जनपद-सहारनपुर में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज, तैय्यबपुर टप्पालालू के निर्माण हेतु रू० 189.53 लाख की इकाई लागत स्वीकृत करते हुए तथा शासन के पत्र संख्या-2369/52-01-2012-03(06)/10, दिनांक 08.08.2012 द्वारा राजकीय इण्टर कालेज, कपूरी रोड तथा राजकीय इण्टर कालेज, कमेला रोड के निर्माण हेतु रू० 189.53 लाख की इकाई लागत स्वीकृत करते हुए **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित कर प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

2- उपरोक्त परियोजनाओं के बारे में लागतवृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का पी०एफ०ए०डी० द्वारा परीक्षण करते हुए निम्नवत् इकाई लागत एवं लागतवृद्धि की धनराशि की संस्तुति की गयी है:-

(रू० लाख में)

क्र०	परियोजना का नाम	स्वीकृत इकाई लागत	पी०एफ०ए०डी० द्वारा अनुमोदित लागत	लागतवृद्धि की अतिरिक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय इण्टर कालेज, तैय्यबपुर टप्पालालू	189.53	222.18	32.65
2	राजकीय इण्टर कालेज, कपूरी रोड	189.53	255.63	66.10
3	राजकीय इण्टर कालेज, कमेला रोड	189.53	251.45	61.93
	योग	**568.59**	**729.26**	**160.68**

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: उपरोक्त 03 राजकीय इण्टर कालेजों के भवनों के निर्माण हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा कुल अनुमोदित इकाई लागत के अनुसार कार्य करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तदनुसार लागतवृद्धि की धनराशि रू0 1,60,68,000/-(रू0 एक करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट एवं संलग्न पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

2- उक्त परियोजनाओं हेतु भविष्य में लागतवृद्धि की कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तवत् अनुमोदित लागत से ही प्रश्नगत 03 राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण कराया जायेगा । इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ एम०ओ०यू० भी हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

3- प्रायोजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-3702/52-01-2012-03(06)/10, दिनांक 02.11.2012 एवं शासनादेश संख्या- 2369/52-01-2012-03(06)/10, दिनांक 08.08.2012 द्वारा लगायी गयी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 75/रा0 25-के0+रा0)-24-** वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा। *उक्त धनराशि लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0112-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लानकके अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक में बालक/बालिका छात्रावास का निर्माण (के० 50/रा० 50-के०+रा०)- 24-**वृहद निर्माण कार्य* **मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।**

5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक- प्रपत्र बी0एम0-9

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

UniCode Gov. Inter College. G.O

संख्या-5150(1)/बावन-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज, तैय्यबपुर टप्पा लालू, राजकीय इण्टर कालेज, कपूरी रोड एवं राजकीय इण्टर कालेज, कमेला रोड का निर्माण निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

9- प्रबन्ध निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज, तैय्यबपुर टप्पा लालू, राजकीय इण्टर कालेज, कपूरी रोड एवं राजकीय इण्टर कालेज, कमेला रोड का निर्माण समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहारनपुर ।

12- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in